अपील रसद संख्या 05/2019(RCMS No. : 2019/00048) अपनी बचत घर योजना सहकारी समिति, ग्राम पंचायत 22 पीटीडी, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये संतोष कुमार पत्नी श्री कुलदीप कुमार जाति ब्राह्मण निवासी 22 पीटीडी, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 20.02.2019

अपीलार्थी अपनी बचत घर योजना के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने प्रकरण संख्या 01/2017 में दिनांक 16.01.2019 के आदेश से उचित मूल्य दुकान अपनी बचत घर योजना, ग्राम पंचायत 22 पीटीडी रायसिंहनगर के प्राधिकृत पत्र संख्या 779/2010 को निरस्त किया है और साथ ही प्राधिकृत पत्र की जमानत राशि जब्त करने के आदेश भी दिये गए है जिसकी अप्रसन्नता से अपीलार्थी अपनी बचत घर योजना, ग्राम पंचायत 22 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जरिए संतोष कुमारी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विरूद्ध पेश की गई है और प्रार्थना की है कि उसकी अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का उक्त्त आदेश दिनांक 16.01.2019 निरस्त किया जावे और उसका उक्त प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे तथा जब्तशुदा अमानत राशि वापिस लौटाई जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अभिभाषक की बहस है कि अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र 779/2010 को दिनांक 10.01.2017 को गैर कानूनी रूप निलम्बित किया गया था जबकि राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 18.10.2017 के अनुसार सम्बन्धित आरोपित प्राधिकारपत्र धारक का प्राधिकार पत्र अधिकतम 90 दिवस तक ही सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बित किया जा सकता है और उसके विरूद्ध प्रस्तावित प्रकरण का निस्तारण भी उक्त अवधि में किया जाना आवश्यक है और यदि निलम्बन की अंतिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाता है तो उक्त अवधि के पश्चात उसका प्राधिकार पत्र स्वतः ही बहाल हो जाएगा। जबकि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 10.01.2017 से 16.01.2019 तक लगभग 02 वर्ष तक निलम्बित रखा जाकर निरस्त किया गया है जो राज्य सरकार के उक्त आदेशों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है इसलिए इसी आधार पर उसकी अपील स्वीकार की जाकर, प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि जहां तक उसे दिए गए कारण बताओं नोटिस दिनांक 10.01.2017 का सम्बन्ध है जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत करने के पश्चात उसे पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया और उसके विरूद्ध एक एफ.आई.आर. संख्या 32/01.03.2017 धारा 420,406,419,467,468, एवं 120 बी पुलिस थाना समेजा कोठी को प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आधार बनाया गया है जबकि उक्त एफ.आई.आर. संख्या 32/01.03.2017 में सम्बन्धित पुलिस थानाधिकारी द्वारा बाद जांच एफआर संख्या 75/30.04.2017 सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है, इसलिए उक्त एफआईआर 32/01.03.2107 को आधार नहीं बनाया जा सकता था। इस प्रकार उसका उचित मूल दुकान का प्राधिकार पत्र गैर कानूनी रूप से निरस्त किया गया है। अतः उनका प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे और फिर भी अगर आगे जांच करना आवश्यक हो तो अपीलार्थी को सुनवाई अथवा सम्पूर्ण साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर दिया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरित विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि प्रार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट 09.01.2017 के आधार पर पाई गई अनियमितता के आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 10.01.2017 नोटिस दिया गया था उस पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करके ही उसका प्राधिकार पत्र सही रूप निरस्त किया गया है इसलिए अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः उसकी अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सम्बन्धित निरीक्षक की जांच रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 के आधार पर अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.01.2017 कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था कि निरीक्षण के दौरान उसकी उचित मूल्य की दुकान के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताए पाई गई :

1. उपभोक्ताओं को ऑन लाईन वितरण दर्शाया गया है जबकि वास्तविक रूप से गेहूं का वितरण नहीं किया गया है।
2. दिनांक 30.12.2016 को एह ही दिन में 7.50 क्विंटल गेहूं व 300 लीटर केरोसीन का ऑफलाईन वितरण किया गया है।

उक्त नोटिस का जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2017 को प्रस्तुत किया गया और उस पर विचार करके **जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अपीलार्थी के विरूद्ध निम्न आदेश** पारित किया गया :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का अवलोकन किया तथा प्रर्वतन निरीक्षक रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच दिनांक 25.01.2017 का अवलोकन किया। जवाब डीलर संतोषजनक नहीं है। रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक अनुसार डीलर द्वारा राशन वितरण में पूर्ण अनयमितता की है। जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितता कर डीलर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इसी आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 11 व 17(ग) व केन्द्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के क्लॉज 4(1) स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्त डीलर द्वारा की गई अनियमितता के कारण डीलर का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा प्राधिकार पत्र की जमा अमानत राशि जब्त सरकार की जाती हैं

आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति व्यवस्थापक, 22 पीटीडी, उ.मु.दु. को भिजवाई जावे।

-sd-
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क कि 90 दिवस से अधिक समय तक उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित नहीं रखा जा सकता इसलिए उक्त अवधि के पश्चात उसका प्राधिकार पत्र स्वतः ही बहाल हो जाता है, के संदर्भ में मैने राजस्थान सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश एफ 17(45)खा.वि/न्याय/2011 जयपुर दिनांक 18.10.2017 का अवलोकन किया, जिसके पैरा संख्या 01 व 02 में निम्न प्रकार से व्यवस्था दी गई है :

1 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान या उनकी प्रत्याशा में ऐसे प्रकरणों में खण्ड–8(II) के अन्तर्गत अधिकतम 90 दिवस की अविधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकेगा परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिवस अथवा प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो, में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा।

2. यदि प्राधिकार पत्र धारक के प्राधिकार पत्र निलम्बन की अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया है तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलम्बन अवधि समाप्त होने के तुरन्त पश्चात बहाल माना जावेगा तथा प्राधिकार पत्र धारक नियमानुसार कार्य कर सकेगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी अपनी बचत घर योजना सहकारी समिति, 22 पीटीडी का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 779/2010 दिनांक 10.01.2017 को निलम्बित किया गया था और दिनांक 16.01.2019 को निरस्त किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त प्राधिकार पत्र 90 दिवस से अधिक अवधि तक अर्थात 10.01.2017 से आदेश पारित करने की दिनांक 16.01.2019 तक निलम्बित था जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के उक्त आदेश 18.10.2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वतः ही बहाल हो जाता है। इसलिए अपीलार्थी का अपनी बचत घर योजना सहकारी समिति, 22 पीटीडी का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र उक्त आदेश के विपरीत निलम्बित रखा उचित नहीं होगा।

जहां तक अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है के संदर्भ में अपीलकृत आदेश अवलोकन करने से पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 16.01.2019 में प्रभावित उपभोक्ताओं द्वारा डीलर के विरूद्ध मुकद्दमा एफ आई आर संख्या 32/01.03.2017 को आधार बनाया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत एफ.आर. संख्या 75/30.04.2017 का अवलोकन करने से पाया कि उक्त प्रकरण पुलिस द्वारा अनुसंधान में झूठा पाए जाने पर सम्बन्धित न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आदेश दिनांक 16.01.2019 से पूर्व पुलिस द्वारा न्यायालय में एफ.आर. प्रस्तुत दी जा चुकी थी जिस पर भी विचार करना आवश्यक था, जो नहीं किया गया प्रतीत होता है, जिससे प्रार्थी के इस कथन को बल मिलता है कि उसे साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उसका प्राधिकार पत्र संख्या 779/ 11.01.2010 बहाल किया जाता है और मामला इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी को दिए गए कारण बताओं नोटिस में बताई गई अनियमितताओ के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया जाकर नियमानुसार पुनः शीघ्र निर्णय पारित किया जावे। आदेश की प्रति मय रिकार्ड जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद नदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर